



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 26.03.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना फरधान पुलिस व एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा 42 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करके 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 25.03.2021 की रात्रि थाना फरधान पुलिस व एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मनिकापुर तिराहा, लखीमपुर गोला मार्ग से एक कंटेनर में सवार 02 अभियुक्तों 1.संदीप सिंह पुत्र फकीर सिंह निवासी धुरी दौलतपुर रोड वार्ड नं0 3 धुन संगरूर पंजाब राज्य 2.वसीम पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम आंवला थाना आंवला जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से विशाखापट्टनम से दिल्ली ले जाए जा रहे 42 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 अदद कंटेनर, 03 अदद मोबाइल व 1580 रुपये नगद बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना फरधान पर मु0अ0सं0 70/21 धारा 8/18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.संदीप सिंह पुत्र फकीर सिंह निवासी धुरी दौलतपुर रोड वार्ड नं0 3 धुन संगरूर पंजाब राज्य
- 2.वसीम पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम आंवला थाना आंवला जनपद बरेली

बरामदगी:-

चार प्लास्टिक की बोरी में 19 पैकेटों में 42 किलाग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 अदद कंटेनर एचआर-67-9033, 03 अदद मोबाइल व 1580 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. नि0 दिलीप कुमार तिवारी, प्रभारी एसटीएफ लखनऊ
2. नि0 विमल गौतम, प्रभारी निरीक्षक, थाना फरधान
3. 30नि0 मनोज कुमार पांडेय, एसटीएफ लखनऊ
4. 30नि0 जीवन सिंह, थाना फरधान
5. मु0आ0 संतोष सिंह, थाना फरधान
6. मु0आ0 अंजनी यादव, थाना फरधान
7. का0 कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, थाना फरधान
8. का0 अशोक राजपूत, थाना फरधान
9. का0 विशाल गौड़, थाना फरधान
10. का0 रवि कुमार, थाना फरधान

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा चोरी की 02 भैसों बरामद कर 02 अंतर्जपदीय शातिर अभियुक्तों को अवैध शस्त्र कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान ग्राम मिर्जापुरवा के पास से मुखबिर की सूचना पर चोरी की 02 भैसों ले जा रहे 02 अभियुक्तों 1-मुनव्वर पुत्र ईंदा निवासी ग्राम सिसैया थाना धौरहरा खीरी 2-लालता प्रसाद पुत्र कल्लूराम निवासी ग्राम मिर्जापुरवा थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों से चोरी की 02 भैसे बरामद हुई जो ग्राम मधुबन थाना रूपेडिया जनपद बहराइच से चोरी कर के लाए थे तथा जिन्हें बेचने की फिराक में थे जिसके संबंध में थाना रूपेडिया पर मु0अ0स0 89/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से 02 देशी अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर भी बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना धौरहरा पर मु0अ0 स0 112 /2021 धारा 411,413,IPC व 41,102 सीआरपीसी, मु0अ0स0 113 /21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, व मु0अ0स0 114 /21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त अंतर्जनपदीय शातिर किस्म के अपराधी है जो पूर्व में भी जनपद बहराइच में इस तरह की कई घटनाएं कर चुके है जिनके विरुद्ध पूर्व से करीब 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 02 अवैध तमंचों व कारतूस सहित अभियुक्त अमरीक सिंह को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त अमरीक पुत्र मखन सिंह नि० बरेठी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 04 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 151/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों 1.पप्पू खां पुत्र बारिश खां निवासी दलालपुरवा थाना कोतवाली सदर 2.शारुख पुत्र गुड्डू नि० हाजीपुरवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व 1980 रू० नगद बरामद किए गए।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, 355 लीटर अवैध कच्ची शराब, 12 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध वृहद स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान विगत 24 घण्टे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 21 अभियोग पंजीकृत किये गये। 12 अवैध शराब भट्टी सहित 355 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया।